भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या. *278
दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की सुलभता

***278. डॉ. भारती प्रवीण पवारः**
श्री गिरिधारी यादवः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में शहरों में 75 प्रतिशत लोगों को पेयजल सुलभता की तुलना में गांवों में 25 प्रतिशत लोगों को ही पेयजल सुलभ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समय के साथ-साथ गांवों में पेयजल की कम उपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप गांवों में पेयजल की उपलब्धता किस सीमा तक बढ़ी है?

उत्तर
जल शक्ति मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *278 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। जैसा कि राज्यों ने एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित किया है, दिनांक 7.7.2019 की स्थिति के अनुसार, कुल 9182.58 लाख की ग्रामीण आबादी में से 7001.50 लाख ग्रामीण आबादी (76.25%) पूर्णतया कवर है (अर्थात् 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर रही है) और 1815.66 लाख आबादी (19.77%) आंशिक रूप से कवर है (अर्थात् 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर रही है)। अतः 96.02% ग्रामीण आबादी को गांवों में पेयजल उपलब्ध है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिसमें अन्य के साथ-साथ भू-जल स्तर का ह्रास, सतही जल स्रोतों का संदूषण, तालाबों और कुंओं का सूख जाना, जनसंख्या में वृद्धि, अपर्याप्त वर्षा शामिल है जिसके परिणामस्वरूप जल निकायों का अपर्याप्त पुनर्भरण आदि देखने को मिलता है।

(ग) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत यह मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2018-19 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए राज्यों को 5466.24 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप और अधिक संख्या में ग्रामीण आबादी पेयजल से कवर की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान वास्तविक कवरेज का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वित्तीय वर्ष	पूर्ण रूप से कवर बसावटें (संख्या में)	आंशिक रूप से कवर बसावटें (संख्या में)	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (संख्या में)
2018-19	32460	30964	4378

(स्रोतः आईएमआईएस)

******